आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
27/1/2013	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील सं0 82/2011** **दीपनारायण राम बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** यह अपील आवेदन अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण आदेश ज्ञापांक 1434/आ0 दिनांक 31/10/2011 के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 11/9/2011 को प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, जलालपुर द्वारा अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कतिपय गंभीर अनियमितताएँ पायी गयी और अनुमंडल पदाधिकारी के ज्ञापांक 1257/आ दिनांक 17/9/2011 के द्वारा अपीलकर्त्ता से बिन्दुवार कारणपृच्छा की गयी। अपीलकर्त्ता का पक्ष सुनने के बाद प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्त्ता ने आरोपों का खंडन किया और स्पष्ट किया कि उनके विरुद्ध बिना वितरण किए जबरन कूपन फाड़ने, भंडार एवं बिक्री संबंधी अभिलेखों का संधारण नहीं करने, निरीक्षण में सहयोग नहीं करने तथा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड पर दी गयी आपूर्त्ति दर्ज नहीं करने के आरोप तथ्यों के प्रतिकूल हैं और साक्ष्यो के साथ इन आरोपों का प्रतिकार किया गया है। विशिष्ट रूप से अपीलकर्त्ता का दावा है कि उन्होंने अगस्त, 2011 माह के खाद्यान्न और किरासन तेल के वितरण के बाद ही उपभोक्ताओं के कूपन लिए थे। उसी तरह सितम्बर, 2011 के खाद्यान्न एवं किरासन तेल के वितरण के बाद ही उक्त माह के कूपन लिए थे। उन्होंने यह भी कहा कि चावल उत्सव के दौरान प्रत्येक कार्डधारी को बिना कूपन के 20 किलोग्राम चावल वितरित किया गया है। चूँकि उनसे बिक्री एवं भंडार से संबंधित अभिलेखों की माँग नहीं की गयी थी, इसलिए ये अभिलेख प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी को नहीं दिखाए गए। प्रश्नगत आदेश का समर्थन करते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया कि प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन विस्तृत, बिन्दुवार एवं उपभोक्ताओं के बयान के साथ समर्पित किया गया है बयान में	

उपभोक्ताओं की पूर्ण पहचान दर्ज है और सभी ने अपीलकर्त्ता के विरुद्ध जबरन कूपन फाड़ने तथा सरकारी प्रावधानों के विरुद्ध कूपन लेकर चावल उत्सव के चावल का वितरण करने का आरोप सम्पुष्ट किया है।

दोनों पक्षों को सुना तथा मूल अभिलेख का अवलोकन किया। यह सत्य है कि प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन तथ्यपरक एवं साक्ष्य सहित है। अपीलकर्त्ता द्वारा साक्ष्यों के रूप में चावल उत्सव से संबंधित बिक्री पंजी तो उपस्थापित की गयी है, किन्तु इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि चावल उत्सव के दौरान चावल का वितरण करने के लिए उपभोक्ताओं से कूपन क्यों लिया गया, जबकि यह अतिरिक्त आवंटन था। उसी तरह अपीलकर्त्ता ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने कार्ड पर जुलाई-अगस्त महीने के वितरण के विरुद्ध खाद्यान्न की प्रविष्टि क्यों नहीं की है। यदि यह मान भी लिया जाए कि अपीलकर्त्ता के विरुद्ध जाँच में सहयोग नहीं करने का आरोप असत्य है, तब भी अपीलकर्त्ता के विरुद्ध लगाए गए अन्य आरोप साक्ष्यों के आधार पर सही पाए गए हैं। स्पष्टतः प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है, इसलिए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

ह०/- 27/1/13   ह०/- 27/1/13

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ________ / विधि, दिनांक ________

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा को भवदीय पत्रांक 378/आपूर्ति दिनांक 14-3-12 द्वारा श्री दीपनारायण राम से संबंधित मूल संचिका संख्या-12-116/11 प्राप्त को उक्त आदेश की प्रति के साथ मूल संचिका संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- मूल सं० सं०-12-116/2011

ह०/-
वरीय उप समाहर्त्ता,
जिला विधि शाखा
सारण छपरा।

ज्ञापांक 265 / विधि, दिनांक 4/2/2013

प्रतिलिपि- एन० आई० सी० पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश को जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

ह०/-
वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
4/2/13 सारण, छपरा।